

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 445/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

मनदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. अमनदीप कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरविन्द्र कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्दीप कौर पत्नी श्री मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

प्रतिवादिता :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 7-8-2024

वादी मनदीप सिंह ने प्रतिवादीगण अमनदीप कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह प्रतिवादीया सं. 1 व 2 वादी की बहिने एवं प्रतिवादीया सं. 3 वादी की पत्नी है। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/67 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.442 है। कृषि भूमि, चक 6 बी.जी.पी. बी. के खाता सं. 129/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.391 है कृषि भूमि तथा चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 70/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के नाम से 4.554 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादीया सं. 3 के पक्ष में कर दिया। वादी एवं प्रतिवादीया सं. 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:- तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/67 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.442 है। कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी. के खाता सं. 129/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.391 है कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादीया सं. 3 सन्दीप कौर पत्नी श्री मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:- तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 70/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 3.4155 है। कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि

लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीजेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/67 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75, चक 6 बी.जी.पी. बी. के खाता सं. 129/50 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 एवं चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 70/32 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुरोध चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/67 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.442 है। कृषि भूमि, चक 6 बी.जी.पी. बी. के खाता सं. 129/50 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.391 है कृषि भूमि तथा चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 70/32 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के नाम से 4.554 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/67 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.442 है। कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 6 बी.जी.पी. बी. के खाता सं. 129/50 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.391 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 70/32 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के नाम से 4.554 है। कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं. 3 को 3.4155 है। कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार शीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
राजसम

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 445/2024

मनदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. अमनदीप कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरविन्द्र कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्दीप कौर पत्नी श्री मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 7.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्तु इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी. पी. के खाता सं. 81/67 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.442 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 6 बी.जी.पी. बी. के खाता सं. 129/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से 1.391 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 70/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के नाम से 4.554 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं. 3 को 3.4155 है. कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 7.8.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया